



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052026-272262
CG-DL-E-05052026-272262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2124]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 2124]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

का.आ. 2211(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 88) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के तापी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ७५३ ब के कि.मी. ६६.३६५ से कि.मी. ७४.९५ तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित २-लेन/४-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपविभागीय दंडाधिकारी निम्न को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी

द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के तापी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ७५३ ब के कि.मी. ६६.३६५ से कि.मी. ७४.९५ के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: तापी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: निजर					
गांव का नाम: हथौडे					
1	2	सरकारी	शुष्क/कृषि	2.0007 (हेक्टेयर)	2.0007
2	47	निजी	शुष्क/कृषि	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
3	48	निजी	शुष्क/कृषि	0.0616 (हेक्टेयर)	0.0616
4	70	सरकारी	शुष्क/कृषि	0.9754 (हेक्टेयर)	0.9754
गांव का नाम: आंत्रुली					
5	4	निजी	शुष्क/कृषि	0.1087 (हेक्टेयर)	0.1087
6	5	निजी	शुष्क/कृषि	0.0692 (हेक्टेयर)	0.0692
गांव का नाम: वंका					
7	258	निजी	शुष्क/कृषि	0.0118 (हेक्टेयर)	0.0118
8	259	सरकारी	शुष्क/कृषि	0.0445 (हेक्टेयर)	0.0445
9	261	सरकारी	शुष्क/कृषि	0.0251 (हेक्टेयर)	0.0251
10	262	निजी	शुष्क/कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
11	43	निजी	शुष्क/कृषि	0.0611 (हेक्टेयर)	0.0611
गांव का नाम: सरवले					
12	147	निजी	शुष्क/कृषि	0.0652 (हेक्टेयर)	0.0652
13	148	निजी	शुष्क/कृषि	0.0456 (हेक्टेयर)	0.0456
14	185	निजी	शुष्क/कृषि	0.1833 (हेक्टेयर)	0.1833

15	188	निजी	शुष्क/कृषि	0.0929 (हेक्टेयर)	0.0929
16	196	सरकारी	शुष्क/कृषि	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
17	316	सरकारी	शुष्क/कृषि	2.3599 (हेक्टेयर)	2.3599
18	NA 197	निजी	शुष्क/अकृषक	0.0296 (हेक्टेयर)	0.0296
19	NA 198/46	निजी	शुष्क/अकृषक	0.005566 (हेक्टेयर)	0.005566
20	NA 198/47	निजी	शुष्क/अकृषक	0.0085 (हेक्टेयर)	0.0085
21	NA 198/48	निजी	शुष्क/अकृषक	0.008221 (हेक्टेयर)	0.008221
22	NA 198/51	निजी	शुष्क/अकृषक	0.007776 (हेक्टेयर)	0.007776
23	NA 198/52	निजी	शुष्क/अकृषक	0.011151 (हेक्टेयर)	0.011151
24	NA 199/Pai /19	निजी	शुष्क/अकृषक	0.009726 (हेक्टेयर)	0.009726
25	NA 199/Pai /21	निजी	शुष्क/अकृषक	0.022023 (हेक्टेयर)	0.022023
26	NA 199/Pai /23	निजी	शुष्क/अकृषक	0.045674 (हेक्टेयर)	0.045674
27	NA 199/Pai /24	निजी	शुष्क/अकृषक	0.002285 (हेक्टेयर)	0.002285
28	NA 199/Pai/22	निजी	शुष्क/अकृषक	0.034529 (हेक्टेयर)	0.034529
गांव का नाम: हरदुली डिगर					
29	125	सरकारी	शुष्क/कृषि	0.0179 (हेक्टेयर)	0.0179
30	126	सरकारी	शुष्क/कृषि	0.0359 (हेक्टेयर)	0.0359
31	70	निजी	शुष्क/कृषि	0.1111 (हेक्टेयर)	0.1111
32	71	निजी	शुष्क/कृषि	0.1689 (हेक्टेयर)	0.1689
33	80	निजी	शुष्क/कृषि	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
34	81	निजी	शुष्क/कृषि	0.0704 (हेक्टेयर)	0.0704
35	NA 62/150	निजी	शुष्क/अकृषक	0.019023 (हेक्टेयर)	0.019023
36	NA 62/151	निजी	शुष्क/अकृषक	0.061032 (हेक्टेयर)	0.061032
37	NA 62/155	निजी	शुष्क/अकृषक	0.021009 (हेक्टेयर)	0.021009
38	NA 62/156	निजी	शुष्क/अकृषक	0.040587 (हेक्टेयर)	0.040587
39	NA 62/157	निजी	शुष्क/अकृषक	0.03793 (हेक्टेयर)	0.03793
40	NA 62/158	निजी	शुष्क/अकृषक	0.020157 (हेक्टेयर)	0.020157
Total					6.987689

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2026

S.O. 2211(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH753 B in the stretch of land from Km. 66.365 to Km. 74.95 in the district of TAPI in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, the Sub Divisional Officer Magistrate Nizar, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH753 B in the stretch of land from Km. 66.365 to Km. 74.95 in the district of TAPI in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: TAPI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nizar					
Village: Hathode					
1		Government	Dry/Agriculture	2.0007 (Hectare)	2.0007
2	47	Private	Dry/Agriculture	0.086 (Hectare)	0.086
3	48	Private	Dry/Agriculture	0.0616 (Hectare)	0.0616
4	70	Government	Dry/Agriculture	0.9754 (Hectare)	0.9754
Village: Antruli					
5	4	Private	Dry/Agriculture	0.1087 (Hectare)	0.1087
6	5	Private	Dry/Agriculture	0.0692 (Hectare)	0.0692
Village: Vanka					
7	258	Private	Dry/Agriculture	0.0118 (Hectare)	0.0118
8	259	Government	Dry/Agriculture	0.0445 (Hectare)	0.0445
9	261	Government	Dry/Agriculture	0.0251 (Hectare)	0.0251
10	262	Private	Dry/Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
11	43	Private	Dry/Agriculture	0.0611 (Hectare)	0.0611
Village: Sarvale					
12	147	Private	Dry/Agriculture	0.0652 (Hectare)	0.0652
13	148	Private	Dry/Agriculture	0.0456 (Hectare)	0.0456
14	185	Private	Dry/Agriculture	0.1833 (Hectare)	0.1833
15	188	Private	Dry/Agriculture	0.0929 (Hectare)	0.0929

16	196	Government	Dry/Agriculture	0.0021 (Hectare)	0.0021
17	316	Government	Dry/Agriculture	2.3599 (Hectare)	2.3599
18	NA 197	Private	Dry/Non Agriculture	0.0296 (Hectare)	0.0296
19	NA 198/46	Private	Dry/Non Agriculture	0.005566 (Hectare)	0.005566
20	NA 198/47	Private	Dry/Non Agriculture	0.0085 (Hectare)	0.0085
21	NA 198/48	Private	Dry/Non Agriculture	0.008221 (Hectare)	0.008221
22	NA 198/51	Private	Dry/Non Agriculture	0.007776 (Hectare)	0.007776
23	NA 198/52	Private	Dry/Non Agriculture	0.011151 (Hectare)	0.011151
24	NA 199/Pai /19	Private	Dry/Non Agriculture	0.009726 (Hectare)	0.009726
25	NA 199/Pai /21	Private	Dry/Non Agriculture	0.022023 (Hectare)	0.022023
26	NA 199/Pai /23	Private	Dry/Non Agriculture	0.045674 (Hectare)	0.045674
27	NA 199/Pai /24	Private	Dry/Non Agriculture	0.002285 (Hectare)	0.002285
28	NA 199/Pai/22	Private	Dry/Non Agriculture	0.034529 (Hectare)	0.034529
Village: Harduli Digar					
29	125	Government	Dry/Agriculture	0.0179 (Hectare)	0.0179
30	126	Government	Dry/Agriculture	0.0359 (Hectare)	0.0359
31	70	Private	Dry/Agriculture	0.1111 (Hectare)	0.1111
32	71	Private	Dry/Agriculture	0.1689 (Hectare)	0.1689
33	80	Private	Dry/Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006
34	81	Private	Dry/Agriculture	0.0704 (Hectare)	0.0704
35	NA 62/150	Private	Dry/Non Agriculture	0.019023 (Hectare)	0.019023
36	NA 62/151	Private	Dry/Non Agriculture	0.061032 (Hectare)	0.061032
37	NA 62/155	Private	Dry/Non Agriculture	0.021009 (Hectare)	0.021009
38	NA 62/156	Private	Dry/Non Agriculture	0.040587 (Hectare)	0.040587
39	NA 62/157	Private	Dry/Non Agriculture	0.03793 (Hectare)	0.03793
40	NA 62/158	Private	Dry/Non Agriculture	0.020157 (Hectare)	0.020157
Total					6.987689

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/19/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director